

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प. 10(21)न्याय/2013

जयपुर, दिनांक 29 APR 2016

न्यायाधीश,  
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण  
..... (राजस्थान)

विषय:-वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपलब्ध बजट प्रावधान से नवीन आईटम ए0सी0 कय करने हेतु बजट आवंटन बाबत।

सन्दर्भ:-बी0एफ0सी0 की मिनिट्स वर्ष 2016-17


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 की बी0एफ0सी0 की मिटिंग में सहमति के आधार पर उपलब्ध बजट प्रावधान में से नवीन आईटम ए0सी0 कय करने हेतु निम्नानुसार बजट आवंटन किया जाता है एवं समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को निदेशित किया जाता है कि उक्त कय सामान्य वित्त एवं लेखा निगमानुसार कय प्रक्रिया सुनिश्चित की जावें एवं किसी भी स्थिति में बजट समर्पित करने पर आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिशः जिम्मेवार रहेंगे।

क0स0	कार्यालय का नाम	ए0सी0 की संख्या	स्वीकृत राशि (लाखों में)
1.	अलवर	1	0.50
2.	कोटा-1	1	0.50
3.	कोटा-2	1	0.50
4.	धोलपुर	1	0.50
5.	बाड़मेर	1	0.50
6.	दौसा	1	0.50
7.	झालावाड़	1	0.50
8.	सवाई माधोपुर	1	0.50
9.	राजसमंद	1	0.50
10.	उदयपुर	1	0.50
11.	डूंगरपुर	1	0.50
12.	सीकर	1	0.50
13.	भीलवाड़ा	1	0.50
14.	बांसवाड़ा	1	0.50
15.	जोधपुर	1	0.50

उक्त व्यय बजट मद 2014-00-116-(01)-[00]-05 कार्यालय व्यय (आयोजना भिन्न) से प्रभारित होगा।

भवदीय

  
(प्रमोद कुमार मलिक) 28/04/16  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपी निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है-

- 1 संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय-5/बजट) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 2 सहायक निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।

संयुक्त शासन सचिव